BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 जून 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी के आरोपी को 03 वर्ष 02 माह 04 दिन के कारावास की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आशू पुत्र भूरा निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनियां जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में थाना खानपुर में चोरी की कई घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खानपुर पर दिनांक 15.02.2021 को मुअसं-41/2021 धारा 379 भादवि, दिनांक 22.02.2021 को मुअसं-46/2021 धारा 380 भादवि व दिनांक 27.02.2021 को मुअसं- 49/2021 धारा- 379/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03.06.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.06.2024 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-3, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आशू को 03 वर्ष 02 माह 04 दिन के कारावास से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम कुमार मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर